न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 181/2017

वादी:–

1. खमेखां पुत्र मेहताब खां जाति मुसलमान निवासी ईकड़ाणी
   तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सदीक खां पुत्र मेहताब खां के कायम मुकाम
   1/1 समी पुत्री सदीक खां
   1/2 निजामी पुत्री सदीक खां
   1/3मरीमों पुत्री सदीक खां
   1/4 कुनेखां पुत्र सदीक खां
   1/5 सरीफों पत्नि सदीक खां जाति मुसलमान निवासी ईकड़ाणी
   तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
2. गफूरखां , भूरेखां, मूसेखां पि0 आकूखां जाति मुसलमान निवासी ईकड़ाणी
   तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री खमेखां स्वंय वादी।
2..श्री गफूरखां वगैराह प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 14.10.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 128,129,130 रकबा क्रमशः 0–03बीघा,37–01बीघा, 45–06बीघा, सरहद मौजा ईकड़ाणी तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी में अमलदरामद करते समय राजस्व कर्मचारियों की गलती से मुझ वादी के साथ सादुलखा पुत्र मेताब खा दर्ज किया गया है। जो भूलवंश दर्ज किया गया तथा उस वक्त राजस्व अधिकारियसों की गलती हुई जबकि मुझ वादी व प्रतिवादीगण असल मे तीन सगे भाई आकूखां, सदीकखां व खमेखां पि0 महताबखां ही है । आकू का फौतगी होने से उनके पुत्रों के नाम दर्ज होने चाहिये था । वादग्रस्त आराजी मे खमेखां का नाम खीवरेंखां का नाम दर्ज है जो लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज हुआ । उक्त नाम का राजस्व रेकर्ड के अलावा वादी के नाम पहचान पत्र आदि सरकारी दस्तावेज मे खमेखां पुत्र महताबखां दर्ज है । अंत मे निवेदन किया कि वादीग्रस्त आराजी मे सादुलखां पुत्र महताबखां का नाम हटाया जाकर उक्त खातेदारी रेकर्ड मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:46:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

सदीकखां के कायम मुकाम पुत्र खमेखां पुत्र महताबखां व गफूरखां पुत्र भूरेखां, मुसेखां पुत्र आकूखां दर्ज कर खातेदारी घोषित की जावें ।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट रिछोली मे वादी एवं प्रतिवादीगण के बयान कलमबद्व किये गये तथा तहसीलदार पचपदरा से वादपत्र मे अंकित तथ्यों की मजमे आम मे जांच करवायी गयी । तहसीलदार पचपदरा द्वारा बाद जांच महताबखां के तीन जायन्दा पुत्र ही होना बताया गया । सादुलखां पुत्र मेहताबखां का नाम लिपिकीय त्रुटि से इन्द्राज ही हुआ है । आकू खां व सदीकखां फौत हो चुके है । खिवरेखां के स्थान पर खमेखां की शुद्वि किया जाना तथा सादुलखां का नाम जो लिपिकीय त्रुटि से दर्ज हुआ रेकर्ड से हटाये जाने की अनुशंषा की गयी है ।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 128,129,130 रकबा क्रमशः 0–03बीघा,37–01बीघा, 45–06बीघा, सरहद मौजा ईकड़ाणी तहसील पचपदरा उक्त वादग्रस्त आराजी मे मेहताबखां की फौतगी पर नामान्तरकरण दर्ज करते समय चार जायन्दा पुत्र आकूखां,सदीकखां व खिवरेखां व सादुलखां के नाम दर्ज किया गया जबकि नामान्तरकरण संख्या 3 को निर्णित करते समय ग्राम पंचायत गोपड़ी द्वारा मेहताबखां के तीन पुत्र ही होना बताकर निर्णित किया गया था । वादी का नाम खिवराखां दर्ज किया गया जो बाद मे खिमरेखां दर्ज हुआ जिसके स्थान पर सरकारी दस्तावेज मे खमेखां दर्ज है । तहसीलदार पचपदरा द्वारा बाद जांच महताबखां के तीन जायन्दा पुत्र ही होना बताया गया । सादुलखां पुत्र मेहताबखां का नाम लिपिकीय त्रुटि से इन्द्राज ही हुआ है । आकू खां व सदीकखां फौत हो चुके है । खिवरेखां के स्थान पर खमेखां की शुद्वि किया जाना तथा सादुलखां का नाम जो लिपिकीय त्रुटि से दर्ज हुआ रेकर्ड से हटाये जाने की अनुशंषा की गयी है । ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 128,129,130 रकबा क्रमशः 0–03बीघा,37–01बीघा, 45–06बीघा, सरहद मौजा ईकड़ाणी तहसील पचपदरा उक्त वादग्रस्त आराजी मे से सादुलखां पुत्र मेहताबखां का नाम हटाया जाकर खमेखां पुत्र मेहताबखां एवं समी , निजामी , मरीमों पुत्रीयां सदीक खां कुनेखां पुत्र सदीक खां सरीफों पत्नि सदीक खां गफूरखां , भूरेखां, मूसेखां पि0 आकूखां को खातेदार घोषित किया जाता है । तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को कोर्ट केम्प कोर्ट भाखरसर में मजमे आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत आकड़ली एवं पारोटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:46:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
केम्प कोर्ट भाखरसर
पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण	प्रतिवादीगण
खमेखां पुत्र मेहताब खां जाति मुसलमान निवासी ईकड़ाणी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।	1.सदीक खां पुत्र मेहताब खां के कायम मुकाम 1/1 समी पुत्री सदीक खां 1/2 निजामी पुत्री सदीक खां 1/3मरीमों पुत्री सदीक खां 1/4 कुनेखां पुत्र सदीक खां 1/5 सरीफों पत्नि सदीक खां जाति मुसलमान निवासी ईकड़ाणी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर । 2गफूरखां , भूरेखां, मूसेखां पि0 आकूखां जाति मुसलमान निवासी ईकड़ाणी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर । 3राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 181/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री खमे खां वादी स्वंय मिनजानिब श्री प्रतिवादीगण एवं पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं 128,129,130 रकबा क्रमशः 0–03बीघा,37–01बीघा, 45–06बीघा, सरहद मौजा ईकड़ाणी तहसील पचपदरा उक्त वादग्रस्त आराजी मे से सादुलखां पुत्र मेहताबखां का नाम हटाया जाकर खमेखां पुत्र मेहताबखां एवं समी , निजामी , मरीमों पुत्रीयां सदीक खां कुनेखां पुत्र सदीक खां सरीफों पत्नि सदीक खां गफूरखां , भूरेखां, मूसेखां पि0 आकूखां को खातेदार घोषित किया जाता है । तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें। बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.10.2021 केम्प कोर्ट भाखरसर को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
केम्प ग्राम पंचायत________________प.स.________

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:46:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner